



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275256
CG-DL-E-06082026-275256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4185]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948

No. 4185]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4361(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 67010:2026 वर्गीय अपेक्षाएँ वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड (वीआरएलए) बैटरीस

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2026

S.O. 4361(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standard for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Number and name of revised standard
(1)	(2)
1.	TEC 67010:2026 Generic Requirements Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Batteries

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General